–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 170/2022

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद, अजमेर
——वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मंगला पुत्र भूरा,
2. गोपाल पुत्र भैरू,
3. रामधन पुत्र छीतर,
4. गणेश पुत्र घीसा जातिगण गुर्जर निवासी सनोद तहसील नसीराबाद,
5. दी मैनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा सनोद,
6. दी मैनेजर आईसीआईसीआई शाखा देराठू,
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 7 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

8. मंगलचन्द पुत्र रामदयाल,
9. महावीर,
10. रामकिशन,
11. रामगोपाल पुत्र नन्दा,
12. शान्तिदेवी पत्नि रामदयाल,
13. सीता पुत्री रामदयाल,
14. सोनी पुत्री नन्दा,
15. बहादुर पुत्र भागचन्द पौत्र मिश्री समस्त जातिगण जाट निवासी सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 8 से 15 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व 691/665 किता 9 रकबा 1.56 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के अतिचार करने पर आमादा है, साथ ही [illegible] उसकी खातेदारी आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। अतः प्रतिवादीगण को [illegible] निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 से 15 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने ज[illegible] पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व 691/665 किता 9 रकबा 1.56 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वाद का खण्डन भी नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उक्त आराजी पर कोई दखलदांजी अथवा वादी को बेदखल करने का विधिक अधिकार नही है। प्रकरण में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही हैं। वादी आराजी मुतनाजा का खातेदार होने के कारण प्रकरण बहक वादी सिद्व होता है। वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व 691/665 किता 9 रकबा 1.56 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

ओमप्रकाश बनाम मंगला

दावा बाबत :– 188, 92अ राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –170/2022
पेश करने की दिनांक –07.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व 691/665 किता 9 रकबा 1.56 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested